करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत, और सरल होंगे टीडीएस नियम

- आयकर विभाग (कोलकाता जोन) के मुख्य आयुक्त मयंक प्रियदर्शी ने दी जानकारी

संवाददाता, कोलकाता

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नयी आयकर संहिता के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से जुड़े नियमों को सरल और सहज बनाया जा रहा है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन की प्रक्रिया आसान होगी. यह जानकारी आयकर विभाग (कोलकाता जोन) के मुख्य आयुक्त मयंक प्रियदर्शी (आइआरएस) ने कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दी. श्री प्रियदर्शी ने बताया कि टीडीएस से संबंधित नियमों की शब्द संख्या 14,000 से घटाकर 7,000 कर दी गयी है, जिससे कानून को समझना और उसका पालन करना कहीं अधिक सुगम हो जायेगा. उन्होंने कहा : जिस प्रकार करदाताओं के हित में आयकर ढांचे और दरों में बदलाव किया गया है, उसी प्रकार टीडीएस दरों को भी संशोधित और सरल किया गया है. कई मामलों में टीडीएस की दर 1% से घटाकर मात्र 0.1% कर दी गयी है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में टीडीएस के अंतर्गत आने वाले लेनदेन की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे वैध लेनदेन को बढ़ावा मिला है. उन्होंने माना कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद कागजी दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने में कुछ जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे कई बार निष्पक्ष कर निर्धारण में दिक्कत आती है.

चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त व अन्य अतिथिगण.

मुख्य आयुक्त ने उदाहरण देते हुए बताया : यदि किसी उत्पाद की खरीद पर छूट दी जाती है, तो उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत 'कमीशन' माना जाता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है. यह स्थिति करदाताओं और कर संग्रहकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ा सकती है. हालांकि, उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि आयकर विभाग निष्पक्ष समाधान की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है.

कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में आयकर विभाग (कोलकाता जोन) के आयुक्त डॉ रघुवीर मदनप्पा, कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष माधव सुरेखा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत साहारिया, उपाध्यक्ष अनुराग झुनझुनवाला और वरिष्ठ कार्यकारी समिति सदस्य रजत अग्रवाल उपस्थित थे.